


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिजीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 109]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 जनवरी 2010—माघ 8, शक 1931

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2010

क्र. एफ. 10-29-2006-पचास-2.—बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 17, 18 एवं 19 के प्रावधान के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा मान. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सुश्री शीला खन्ना, निवासी ए-3, बी.डी.ए. कालोनी, तुलसी नगर, भोपाल को यह अधिसूचना जारी होने के दिनांक से मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है.

2. अध्यक्ष का कार्यकाल इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक अथवा उनके द्वारा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इसमें जो भी पहले हो की अवधि के लिए होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कामिनी चौहान रतन, उपसचिव.